सीगा 144 सपीसी प्रकरण संख्या 31/2013.(GCMS : 2013/00007)
अनवान् 1. सुरेश कुमार 2. विजयकुमार पिसरान बलास चन्द जाति अग्रवाल निवासी लीला चौक, श्रीगंगानगर <u>बनाम</u> 1. सरकार 2. [illegible] कुमार 3. राजेन्द्र कुमार 4. कंवरसेन पिसरान गुलाबचंद जाति अग्रवाल निवासी रोटांवाली तहसील सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.06.2022

पत्रावली एडमिशन बहस हेतु पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री प्रदीप सिहाग, अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह एवं राजकीय अधिवक्ता श्री गुरजीत सिंह वानर उपस्थित हुए।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप सिहाग ने कथन किया कि पत्रावली मे प्रार्थीगण मनीराम वगै ने श्रीमान्जी के समक्ष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया था कि चक 15 एलएनपी सैकण्ड के खाता संख्या 45/51 बलास चन्द पुत्र तुलसीराम के नाम मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 1 व 10 की 2 बीघा व मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 5--6--15 की 03 बीघा नहरी खातेदारी रकबा दर्ज था, जिसके सम्बन्ध में पत्रावली में दस्तावेज मौजूद है।

उनका आगे कथन था कि श्रीमान्जी के न्यायालय के आदेश दिनांक 21.08.2000 से प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज उक्त 5 बीघा की खातेदारी निरस्त कर रकबा राज दर्ज का आदेश दिया गया था जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण के पिता वगै. ने संभागीय आयुक्त, बीकानेर के समक्ष अपील पेश की जिसमें न्यायालय संभागीय आयुक्त ने दिनांक 07.04.2004 को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर प्रकरण सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:20 IST
Reason: SelfAttested

उनका [illegible] प्रकरण में दिनांक 11.09.2012 को आदेश दिया गया स्टेट व मनीराम आदि बनाम रामलाल [illegible] में निर्णय दिनांक 28.06.1983 द्वारा रि–सेटलमेंट के आदेश दिये गये थे जिसके विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट संख्या 1536/98 पेश की

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जो खारिज हो चुकी है तथा रि–सेटलमेंट के लिए राज्य सरकार के नोटिफिकेशन बिना कार्यवाही नहीं हो सकती। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश के पश्चात उक्त प्रकरण में **प्रार्थीगण मनीराम सुखराम वगै. किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं होने के कारण दाखिल दफ्तर किया गया।**

उनका आगे यह भी कथन था कि आदेश दिनांक 21.08.2000 से प्रार्थीगण के पिता के नाम की खातेदारी कृषि भूमि 05 बीघा भूमि को रकबा राज दर्ज किया गया । यह आदेश माननीय संभागीय आयुक्त के निर्णय दिनांक 07.04.2004 से निरस्त हो चुका है इसलिए प्रार्थीगण श्रीमान्जी के आदेश दिनांक 21.08.2000 से पूर्व की स्थिति बहाल करवाने के अधिकारी हैं

उनका आगे यह भी कथन था कि उक्त्त प्रकरण श्रीमान्जी के आदेश दिनांक 21.08.2000 से चक 15 एलएनपी सैकण्ड ए के खाता संख्या 41/51 के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 1 व 10 तथा मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 5–6–15 कुल 05 बीघा को रकबा राज दर्ज करने का आदेश दिया को तब्दील कर प्रार्थीगण के पिता बलास चन्द के नाम खातेदारी बहाल करने का आदेश फरमाया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी अशोक कुमार, राजेन्द्र और कंवर सेन विद्वान अधिवक्ता श्री तेजा सिंह ने कथन किया कि उनके द्वारा एक अपील संख्या 6270/2016 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रस्तुत की गई, जो अभी तक विचाराधीन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:20 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत राजकीय [illegible] ने कथन किया कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश [illegible] जिसमें सम्बन्धित पक्षकारों को उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में लम्बित वादों में राहत प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र है का आदेश दिया गया

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

था। जबकि उक्त आदेश के विरूद्ध रिव्यू/रिट/अपील विचारधीन नहीं है। इस न्यायालय उक्त आदेश एवं मानीय उच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या 1536/1998 में पारित निर्णय दिनांक 19.07.2000 में दिये गये निर्देशों के अनुसार इस न्यायालय को सीपीसी की धारा 144 पर कार्यवाही करने का कोई क्षेत्राधिकार है।

मैने, उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21.08.2000 से चक 15 एलएनपी सैकण्ड ए के खाता संख्या 41/51 के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 1 व 10 तथा मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 5–6–15 कुल 05 बीघा को रकबा राज दर्ज करने का आदेश दिये गये थे, को तब्दील कर प्रार्थीगण के पिता बलास चन्द के नाम खातेदारी बहाल करने के आदेश चाहे है।

इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 34/1979 में आदेश दिनांक 28 जून 1983 से रि–सैटलमैंट के आदेश उभयपक्ष की सहमति से दिये गये थे। उसके पश्चात इसी प्रकरण में प्रकरण संख्या 55/2000 में सर्वप्रथम दिनांक 21.08.2000 को तत्कालीन जिला कलक्टर द्वारा पक्षकारों को सुनकर निम्न आदेश पारित किया गया था।

> चूंकि पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी हल्का 15 एलएनपी दिनांक 04.0[illegible] के अनुसार मुरब्बा नम्बर 45, 25, 26, 49, 44 [illegible] में निम्न लिखित व्यक्ति खातेदार [illegible] काश्तकारों के रूप में अंकित है, जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

क्र. सं.	रकबा	जमाबन्दी में रिपोर्ट के अनुसार दर्ज खातेदार का नाम	मौके पर काबीज काश्तकार का नाम
1	मु.न. 45 कि.न. 8, 14, 20 की 3 बीघा	गुरमेल सिंह वगै. संयुक्त खातेदार	श्रीराम पुत्र बगूराम अग्रवाल सा. रोटावाली
2	मु.न. 25 कि.न. 1, 10 की 2 बीघा	विलासचन्द पुत्र तुलसीराम	श्री गुलाबचन्द पुत्र बगूराम अग्रवाल साकिन रोटावाली
3	मु.न. 25 कि.न. 5, 6, 15 की 3 बीघा	विलासचन्द पुत्र तुलसीराम	श्री गुलाबचन्द पुत्र बगूराम अग्रवाल साकिन रोटावाली
4	मु.न. 42 कि.न. 5, 6, 15, 16 व 25 की 5 बीघा	राजाराम वगै. पि. हजारी एवं बलराम सिंह वगै.	वेदप्रकाश वगै. पिसरान बगूराम सा. रोटावाली
5	मु.न. 44 कि.न. 16/1 बीघा, 17/0.10, 25/0.10	गुरमेल सिंह वगै.	वेदप्रकाश करणदास पि. बगूराम सा. रोटावाली

उपरोक्त 15 बीघा रकबा चूंकि पूर्व में राजस्व अभिलेख के अनुसार रकबा राज था और अब उक्तानुसार खातेदार के रूप में गलत रूप से जैसा उपर विवेचन किया जा चुका है, दर्ज हो गया है इसलिए इसे वापिस रकबा राज के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। अतः तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है कि उक्त रकबा राजस्व अभिलेख में नियमानुसार राजकीय भूमि दर्ज कर अनाधिकृत रूप से काबिज व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 21.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:20 IST
Reason: SelfAttested

(के.एन. गुप्ता)
जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने एसबी सिविल मिस. रिट पैटीशन नं. 1536/199 में दिनांक 19.07.2000 में निम्नानुसार आदेश पारित किया है:

> In reply to the petition, it is stated by the respondents that re-settlement must take place field wise and village wise. it takes place on a large scale as ordered by the governemnt for which a circular of the government is necessary, unless such notification is issued and resettlement is undertaken. <u>There is no question of any case arising in favour of the petitioners</u>. The fear of the petitioner that there may be possibility of dispossession is baseless. Eradication in the area possessed by the petitioner and possible re-settlement is also unsatisfied. in the cirumstances, the petiton in pre-mature and it is dismissed as such

जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के उक्त निर्णय दिनांक 21.08.2000 के विरूद्ध माननीय संभागीय आयुक्त, बीकानेर के समक्ष निम्न अपीले पेश हुई:

1. अपील संख्या 67/2000 – अनवानी विलासचंद वगै. बनाम सुखराम, शिमला, गुलाबंचद वगै.
2. अपील संख्या 69/2000 – अनवानी श्रीराम, गुलाबचंद वगै. बनाम [illegible]राम, विलासचंद वगै.
3. अपील संख्या 70/2000 – अ[illegible]नी बारूमल बनाम स्टेट व श्रीराम, [illegible]चंद वगै.

उक्त तीन[illegible] संभागीय आयुक्त बीकानेर ने अपने आदेश दिनांक 07.04.2004 द्वारा नि[illegible] आदेश पारित किया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

हमने उभयपक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए अभिलेख का अवलोकन किया। दोनों पक्षों के कथनों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली के फर्द अहकाम दिनांक 07.08.2000 के सम्बन्ध में तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। **अतः ये अपील अपीलांटस जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को दिनांक 07.08.2000 के फर्द अहकाम में अंकितानुसार तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करने हेतु लौटाया जाता है।**

निर्णय आज दिनांक 07.04.2004 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मधुकर गुप्ता)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

माननीय संभागीय आयुक्त, बीकानेर के उक्त निर्णय दिनांक 07.04.2004 से रिमाण्ड होकर यह प्रकरण प्राप्त होने पर पुनः प्रकरण संख्या 68/2004 अनवान् सरकार बनाम रामलाल वगै. के रूप में दर्ज हुआ जिसमे सम्बन्धित पक्षकारों मृतक विलासराम के वारिसान के अभिभाषक, श्रीराम, वेदप्रकाश, गुलाबचंद, [illegible] एवं राजकीय अभिभाषक को सुनकर दिनांक [illegible] किया गया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि विवादग्रस्त भूमि के संबंध में इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 37/79 सरकार, मनीराम आदि बनाम रामलाल आदि के निर्ण्य दिनांक 28.06.1983 में रि–सैटलमेंट करने के आदेश दिये गये थे जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में बारूमल व मोधाराम द्वारा प्रस्तुत रिट संख्या 1536/98 में पारित निर्णय 19.07.2000 से रिट खारिज कर दी गई कि रिसेटलमैंट के लिए राज्य सराकर द्वारा नोटिफिकेशन पर की कार्रवाई हो सकती है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.07.2000 के पश्चात विवादग्रस्त भूमि के संबंध में इस न्यायालय को कार्रवाई करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं रहता है। इसलिए सुखराम के प्रार्थना पत्र दिनांक 09.05.2000 पर किसी कार्रवाई की आवश्यता नहीं है। अतः प्रकरण में कार्रवाई समाप्त की जाती है और आदेश दिया जाता है कि विवादग्रस्त भूमि के संबंध में पक्षकारों के मध्य उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में वाद लंबित है। अतः उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष लंबित वादों में पक्षकार राहत प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11.09.2013 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:20 IST
Reason: SelfAttested

(अम्बरीष कुमार)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इस न्यायालय के आदेश दिनांक 11.09.2012 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त आदेश दिनांक 11.09.2012 के पैरा संख्या 2 में मृतक **विलासराम के वारिसान के अभिभाषक ने अपनी बहस में निम्नानुसार कथन किया है :**

> **मृत्तक विलासराम के वारिसान के अभिभाषक** श्री राजाराम बिश्नोई का कथन है कि इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 34/79 सरकार, मनीराम आदि बनाम रामलाल आदि में दुरूस्ती रिकॉर्ड के प्रकरण में आदेश दिनांक 28.06.1983 को आदेश गया था कि **विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में रि–सैटलमैंट करवाया जावे। जिस पर उक्त आदेश के विरूद्ध रिट संख्या 1536/98 माननीय उच्च न्यायालय में पेश हुई।** जिसके निर्णय दिनांक 19.07.2000 के द्वारा बारूमल–मोघाराम द्वारा प्रस्तुत पेटीशन खारिज कर दी गई। **इसलिए जब तक रि–सैटलमैंट की कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक इस न्यायालय को कार्रवाई करने का क्षेत्राधिकार नही है।** इसलिए यहां से कार्रवाई समाप्त की जावे। उनका यह भी कथन था कि गुलाबचंद बनाम रामलाल के नाम से एक दावा भी उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष 41/78 प्रस्तुत हुआ जो दिनांक 29.10.1981 को खारिज कर दिया गया। एक अन्य वाद बग्गुमल बनाम रामलाल आदि भी दिनांक 29.01.1981 को खारिज कर दिया गया, इसके बाद भी गुलाबचंद–वेदप्रकाश वगैरा ने भूमि विवादित को एक अन्य न्यायालय के विरूद्ध कर रखा है जिसमें स्थगन आदेश है। इसलिए विवादग्रस्त भूमि के संबंध में इस न्यायालय द्वारा कोई कार्रवाई नही की जा सकती। अतः इसी आधार पर कार्रवाई समाप्त की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

किसी भी पक्षकार द्वारा वर्ष 2004 से लेकर दिनांक 28.03.2013 तक सुरेश कुमार, विजय कुमार गुप्ता पिसरान बलास चन्द वगै. द्वारा कब्जा हेतु कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं हुआ है और इस न्यायालय निर्णय 11.09.2012 अंतिम हो चुका है। **उक्त आदेश के विरूद्ध कोई रिव्यू/रिट/अपील विचारधीन नहीं है।**

पूर्व में माननीय संभागीय आयुक्त, बीकानेर के आदेश दिनांक 07.04.2004 से प्रकरण इस न्यायालय को रिमाण्ड किया गया था, जिसकी पालना में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.2012 द्वारा को आदेश पारित किया गया था कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.07.2000 के पश्चात विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में इस न्यायालय को कोई कार्रवाई का क्षेत्राधिकार नहीं रहता है, इसलिए प्रकरण में कार्रवाई समाप्त की गई थी। **जिसकें सम्बन्ध में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 11.09.2012** में प्रार्थी बिलासचंद के अधिवक्ता ने भी अपनी बहस में कथन किया है कि "जब तक रि–सैटलमैंट की कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक इस न्यायालय को कार्रवाई करने का क्षेत्राधिकार नही है।"

विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के मध्य वाद संख्या 01/2002 अनवानी गुलाबचंद वगै. बनाम स्टेट लम्बित था। **पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 31.05.2016 को निर्णय पारित कर वादी का दावा खारिज किया जा चुका है, जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में अपील संख्या 6270/2016 द्वारका देवी पत्नी गुलाबचंद वगै. बनाम बलास पुत्र तुलसी के विरूद्ध वर्तमान में विचाराधीन है।** इसलिए इस न्यायालय उक्त आदेश दिनांक 11.09.2012 एवं मानीय उच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या 1536/98 में पारित निर्णय दिनांक 19.07.2000 में दिये गये निर्देशों के अनुसरण में इस न्यायालय को सीपीसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

की धारा 144 पर कार्यवाही करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, इसलिए यह प्रकरण इसी स्तर पर खारिज करने योग्य है। प्रार्थी सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अधनीस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर का रिकार्ड मय आदेश की प्रति भिजवाई जावे। उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को भी आदेश की प्रति भिजवाई जावे। **प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर** को आदेश की प्रति मय माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 19.07.2000 के आदेश की प्रति रि–सैटलमैंट की नियमानुसार कार्यवाही करवाये जाने के लिए भिजवाई जावे। **पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।**

यह आदेश आज दिनांक 15.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:38:20 IST
Reason: SelfAttested